



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062026-273846
CG-DL-E-25062026-273846

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3322]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3322]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

का.आ. 3456(अ).— जबकि, केंद्रीय सरकार ने लोकहित में और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में लीनियर एल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा जाएगा) का.आ. 1648 (अ) के तहत दिनांक 5 अप्रैल, 2022 को अधिसूचित किया है।

और जबकि, वैश्विक स्तर पर व्याप्त संकट को देखते हुए, केंद्र सरकार ने ब्यूरो के परामर्श से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का संज्ञान लिया है और आश्वस्त है कि लीनियर एल्काइल बेंजीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उक्त आदेश के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करना आवश्यक और समीचीन है;

अब, इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केंद्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

लीनियर एल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 2 में, परंतुक में, 01.07.2026 से 30.09.2026 (एक जुलाई, दो हजार छब्बीस से तीस सितंबर, दो हजार छब्बीस तक) के लिए शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.-सीपीसी पीटी.1]

डॉ. जी. वेंकटेश, संयुक्त सचिव

नोट: लीनियर एल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1648 (अ) के तहत तारीख 5 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार तारीख 30 मार्च, 2026 की अधिसूचना का.आ. 1655(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department Of Chemicals And Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 25th June, 2026

S.O. 3456(E).— Whereas, the Central Government has published the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1648 (E), dated 5th April, 2022 (hereinafter to referred as the said Order) in the public interest under and the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

And whereas, in view of the exigencies prevailing globally, the Central Government, in consultation with the Bureau, has taken cognizance of the supply chain disruption and is satisfied that to ensure availability of the Linear Alkyl Benzene, it is necessary and expedient to suspend the operation of the said Order temporarily;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, the Central Government, after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following amendment to the said Order, namely :-

In the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 2, in the proviso, for the 01.07.2026 to the 30.09.2026 (First July Two Thousand Twenty-Six to Thirty September Two Thousand Twenty-Six only) shall be substituted.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

DR. G. VENKATESH, Jt. Secy.

Note: The Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 1648 (E), dated the 5th April, 2022, and last amended *vide* notification number S.O 1655(E), the dated the 30th March, 2026.